

जल (प्रदूषण नविवरण और नयित्रण) संशोधन वधियक, 2024

प्रलिमिस के लयि:

[जल \(प्रदूषण नविवरण तथा नयित्रण\) अधनियम, 1974](#), [केंद्रीय प्रदूषण नयित्रण बोरड](#), [वायु \(प्रदूषण नविवरण और नयित्रण\) अधनियम, 1981](#)

मेन्स के लयि:

जल (प्रदूषण नविवरण और नयित्रण) संशोधन वधियक, 2024 के प्रमुख उपबंध

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यो?

संसद के दोनों सदनों द्वारा हाल ही में **जल (प्रदूषण नविवरण और नयित्रण) संशोधन वधियक, 2024** को मंजूरी दी गई।

जल (प्रदूषण नविवरण और नयित्रण) संशोधन वधियक, 2024 से संबंधति प्रमुख उपबंध क्या हैं?

■ परचय:

- **जल (प्रदूषण नविवरण और नयित्रण) अधनियम, 1974** लंबे समय से **जल संसाधनों** के सतत् प्रबंधन को सुनश्चिति करने के लयि भारत के पर्यावरण कानून की आधारशला रहा है।
- प्रस्तुत कयि गए वधियक का उद्देश्य उक्त अधनियम क **कुछकमयिों** को दूर करना और **नयामक ढाँचे को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना** है।
 - वायु अधनियम के अनुरूप जल अधनियम में संशोधन करना भी आवश्यक है क्योकि दोनों कानूनों में समान उपबंध हैं।

■ प्रमुख संशोधति उपबंध:

- **छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण करना:** इसका उद्देश्य तकनीकी अथवा प्रकरयात्मक खामयिों के लयि कारावास की आशंकाओं को समाप्त करते हुए जल प्रदूषण से संबंधति **छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण (Decriminalization)** करना है।
 - यह सुनश्चिति करता है कि दंड अपराधों की गंभीरता के अनुरूप हों तथा हतिधारकों को अत्यधिक प्रभावति कयि बना अनुपालन को बढ़ावा दयि जाए।
- **वशेष औद्योगकि संयंत्रों के लयि छूट:** यह संशोधति वधियक केंद्र सरकार को वशेष प्रकार के औद्योगकि संयंत्रों के लयि **अतरिक्त बकिरी केंद्र और नरिवहन के संबंध में धारा 25** में सूचीबद्ध कुछ वैधानकि प्रतर्बिधों से छूट प्रदान करने का अधिकार देता है।
 - इस प्रावधान का उद्देश्य नयामक प्रकरयाओं को सुव्यवस्थति करना और नगिरानी परयासों के दोहराव को कम करना तथा दक्षता को बढ़ावा देते हुए नयामक एजेंसयिों पर अनावश्यक बोझ को कम करना है।
- **उन्नत नयामक नरिीक्षण:** इसमें राज्यो में नयामक नरिीक्षण तथा मानकीकरण को बढ़ाने के उपाय शामिल कयि गए हैं।
 - यह केंद्र सरकार को राज्य प्रदूषण नयित्रण बोरडों के अध्यक्षों के नामांकन के लयि दशिया-नरिदेश नरिधारति करने और उद्योग से संबंधति सहमता देने, इनकार करने या रद्द करने के नरिदेश जारी करने का अधिकार देता है।
 - यह अध्यक्षों की नषिपक्ष नयिुक्ता सुनश्चिति करने के लयि कुछ अनविरय योग्यताएँ, अनुभव और प्रकरयाएँ प्रदान करता है।

■ समीकषाएँ:

- आलोचकों का तर्क है कि यह वधियक सभी शकलयिों को केंद्रीकृत करने का भी परयास करता है और संघवाद के सिद्धांत के खलिाफ है। उनका यह भी तर्क है कि पर्यावरण जैसे वषिय को कुछ हद तक कड़े भय के बना नपिटाना कठनि है।
- कुछ आलोचक जल प्रदूषण के मुद्दों से नपिटने में पारदर्शति पर संभावति प्रभाव के बारे में चति जताते हैं।
 - उनका तर्क है कि कुछ नयिमों में ढील देने से उद्योगों और नयामक एजेंसयिों की जवाबदेही से समझौता कयि जा सकता है, जसिसे पर्यावरण प्रबंधन में पारदर्शति कम हो जाएगी।

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नयित्रण) अधनियम, 1974 की मुख्य वशेषताएँ क्या हैं?

- **परिचय:** इसे जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा पानी की संपूर्णता को बनाए रखने या बहाल करने के लिये अधिनियमि किय गय थ।
 - अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत क्रमशः केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किय गय है।
 - **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)**, एक वैधानिक संगठन, का गठन सितंबर, 1974 में **जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के तहत किय गय थ।
 - इसके अलावा CPCB को **वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए।
 - यह **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** के तहत कार्य करता है तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों एवं अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।
- **पछिले संशोधन:** कुछ अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने के लिये अधिनियम में **1978 तथा 1988** में संशोधन किय गय थ। उद्योगों तथा स्थानीय निकायों के प्रमुख दायित्व हैं:
 - किसी भी उद्योग या स्थानीय निकाय की स्थापना के लिये **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से पूर्व सहमति की आवश्यकता** होती है जो घरेलू सीवेज या व्यापारिक अपशिष्ट को पानी, नालों, कुओं, सीवरों या भूमि में प्रवाहित करते हैं।
 - आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य बोर्ड वशिष्ट शर्तों और वैधता तथियों के साथ सहमति दे सकता है या लखित में कारण बताते हुए सहमति देने से इनकार कर सकता है।
 - इसी तरह के प्रावधान अधिनियम लागू होने से पहले व्यापार/प्रवाह अपशिष्ट का नरिहन करने वाले उद्योगों पर भी लागू होते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय हरति अधिकरण (एन.जी.टी.) किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से भिन्न है?

1. एन.जी.टी. का गठन एक अधिनियम द्वारा किय गय है जबकि सी.पी.सी.बी. का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किय गय है।
2. एन.जी.टी. पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है जबकि सी.पी.सी.बी. झरनों तथा कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है एवं देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)